अनुलग्नक II

परिभाषाएं

इन दिशानिर्देशों में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा आवश्यक न हो:

(ए) "बैंक" या "बैंकिंग कंपनी" का अर्थ एक बैंकिंग कंपनी है जैसा कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 5 के खंड (सी) में खंड में परिभाषित किया गया है अथवा उसके खंड (डीए), खंड (एनसी) और खंड (एनडी) में क्रमशः "संगत नया बैंक", "भारतीय स्टेट बैंक" या "सहायक बैंक" परिभाषित किया गया है और जैसा कि उस अधिनियम की धारा 56 के साथ पठित धारा 5 के खंड (सीसीआई) में परिभाषित किए गए अनुसार उसमें "सहकारी बैंक" शामिल है।

(बी) "अनुसूचित बैंक" का अर्थ है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल बैंक।

(सी) "अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (एफआई)" का अर्थ उन वित्तीय संस्थाओं से है जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विशेष रूप से अंब्रेला सीमा के भीतर सावधि धन, सावधि जमा, जमा प्रमाणपत्र, वाणिज्यिक पत्र और अंतर-कॉर्पोरेट जमा के माध्यम से स्रोत जुटाने की अनुमति दी गई है।

(डी) "प्राथमिक डीलर" का अर्थ एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी से है, जिसके पास रिज़र्व बैंक द्वारा 29 मार्च,1995 के "सरकारी प्रतिभूति बाजार में प्राथमिक डीलरों के लिए दिशानिर्देश" (समय-समय पर यथा संशोधित) के अंतर्गत प्राथमिक डीलर के रूप में जारी किया गया एक वैध प्राधिकार पत्र है।

(ई) "कॉर्पोरेट" या "कंपनी" का अर्थ है एक कंपनी से है जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 I (एए) में परिभाषित किया गया है, लेकिन इसमें ऐसी कंपनी शामिल नहीं है जिसे उस समय के लिए लागू किसी कानून के अंतर्गत बंद किया जा रहा है।

(एफ़) "गैर-बैंकिंग कंपनी" का अर्थ बैंकिंग कंपनी के अलावा एक अन्य कंपनी है।

(जी) "गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी" का अर्थ भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 धारा 45 I (एफ) में परिभाषित कंपनी से है।

(एच) "कार्यशील पूंजी सीमा" का अर्थ है कुल सीमाएं, जिनमें कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक या एक से अधिक बैंकों / वित्तीय संस्थानों द्वारा स्वीकृत बिलों की खरीद / बट्टे के माध्यम से जुटाई पूंजी भी शामिल हैं।

(आई) "मूर्त निवल मालियत " का अर्थ है कंपनी की नवीनतम लेखापरीक्षित बैलेंस शीट के अनुसार चुकता पूंजी सहित निर्बाध आरक्षित निधियां (शेयर प्रीमियम खाते में शेष राशि, पूंजी और डिबेंचर मोचन आरक्षित निधियाँ, और कोई अन्य आरक्षित राशि जो भविष्य की किसी भी देयता के पुनर्भुगतान

के लिए या परिसंपत्तियों में मूल्यह्रास या खराब ऋणों के लिए नहीं बनाई गई है या परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन द्वारा निर्मित आरक्षित निधि सहित) तथा जो संचित हानि शेष, स्थगित राजस्व व्यय के शेष, साथ ही अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों के कारण कम हो जाता है।

(जे) यहां प्रयुक्त लेकिन परिभाषित नहीं किए गए, और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) में परिभाषित किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का अर्थ उस अधिनियम में उन्हें सौंपे गए अर्थ के समान होगा।